न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी — प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 04/ 2021
GCMS रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/31

प्रार्थी/अपीलार्थी :–	बनाम	अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
स्व. भेरा पिता श्री पुनिया भील के वारिसान् – 1. लक्ष्मण पिता स्व.भेरा जाति भील 2. श्रीमती मोगी पत्नी स्व.भेरा जाति भील निवासीयान् कुपडा तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा (राजस्थान)		1. श्रीमती रतन पत्नि स्व.श्री रावजी जाति भील निवासी कुपडा तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राजस्थान) 2. श्री हिरा पिता स्व.श्री रावजी जाति भील निवासी कुपडा तहसील बांसवाडा व बांसवाडा (राजस्थान) 3. श्री कालिया पिता स्व.श्री रावजी जाति भील निवासी कुपडा तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राजस्थान) 4. श्री शंकर पिता स्व.श्री रावजी जाति भील निवासी कुपडा तहसील बांसवाडा व जिला बांसवाडा (राजस्थान) 5. तहसीलदार तहसील बांसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

श्री तसलीम अहमद, अधिवक्ता अपीलांट

श्री राजेन्द्र पाटीदार, अधिवक्ता रेसपोडेंट 1 से 4

श्री भूपेन्द्र जैन, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 21/07/2023

अपीलांट श्री भेरा पिता पुनीया जाति भील निवासी कुपडा तहसील बांसवाडा ने यह अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कुपडा, पटवार हल्का कुपडा तहसील व जिला बांसवाडा के खाता संख्या 148 के सर्वे नंबर 228 [illegible] रकबा 4.03 विघा, सर्वे नंबर 1310/332 रकबा 2.03 विघा कुल [illegible] पिता व रेस्पोडेंट सं. 1 के ससुर रेसपोडेंट सं. 2 से 4 [illegible] के नाम जमाबन्दी [illegible] 2031 से 2034 में दर्ज रेकार्ड था। पुनीया की मृत्यु पर उक्त कृषि भूमि अपीलांट व रेसपोडेंट सं. 1 के पति

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी के नाम सयुक्त रुप से जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 में दर्ज रेकार्ड हुई। जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट सं.1 से 4 का समान, हक, हित, हिस्सा व कब्जा निहित था। किन्तु प्रशासन गाँव के संग अभियान 2001 में बिना जाँच, रिर्पोट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी को लाभ पहुचाने की गरज से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभक्ति कर नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी को 5.19 बिघा एवं अपीलांट को 4.03 बिघा भूमि का अवैधानिक रुप से कर दिया।

अपीलांट ने तहसीलदार बांसवाडा के नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2021 को निरस्त करने यह अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेंटस् को समन जारी किये गए। दिनांक 01.11.2021 को रेस्पोडेंट सं. 5 की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त नामान्तरकरण प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 में भेरा, रावजी पिता पुनीया भील जो कि सह खातेदार होने से प्रार्थना पत्र काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत आपसी सहमति से बंटवारे का प्रस्तुत करने से किया गया। खाते के विभाजन के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के लिये खोला गया जो विधि संगत है।

दिनांक 19.05.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 की ओर से श्री राजेन्द्र पाटीदार, श्री अंकित गोस्वामी, श्री राजकुमार रावत अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 08.06.2022 को रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत हुआ। प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि उक्त बंटवारा नियमानुसार जाँच कर किया गया है एवं विधिवत नामान्तरकरण खोला गया है।

दिनांक 22.09.2022 को अपी[illegible]आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अपीलांट भेरा पिता पुनीय[illegible]लांट स्व. भेरा के स्थान पर उनके वारिसान् श्री लक्ष्म[illegible]मती मोगी पत्नि स्व भेरा निवासियान् कुपडा तहसील बांसवाडा को अपीलांट की श्रेणी में कायम मुकाम कर रेकार्ड पर लेने

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला [illegible]
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया। जिसके संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि देरी को कण्डोन करते हुए प्रकरण में कायम मुकाम वारिसान के आदेश फरमावे। दिनांक 02.12.2022 को उक्त प्रार्थना पत्र पर रेसपोडेंट्स सं. 1 से 4 के अधिवक्ता ने अनापत्ति जाहिर की। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी स्वीकार कर संशोधित शिर्षक पेश करने आदेश दिये गये। दिनांक 16.12.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से संशाधित शिर्षक प्रस्तुत किया गया जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

दिनांक 19.01.2023 को अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत् कमीश्नर नियुक्त कर सर्वेक्षण रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रस्तुत किया। इस स्तर पर आवेदन का कोई औचित्य नही होने से आवेदन खारिज किया गया।

दिनांक 10.11.2022 को अपीलांट के अधिवक्ता, रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 के अधिवक्ता की ओर से मूल अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर बहस सुनी गई। रेस्पोडेंटस के अधिवक्ता ने उक्त अपील देरी से प्रस्तुत करने पर अपील खारिज करने निवेदन किया। अपीलांट के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट के कब्जे में आधी भूमि है उसमे रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 द्वारा माह अगस्त 2021 में विवाद करने आने से एवं अपीलांट के शांति पूर्ण काश्त में बाधा व रुकावट उत्पन्न करने के कारण वस्तुस्थिति ज्ञात होने पर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जानबुझ कर विलम्ब नही किया है।

जहां तक अपील म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

मूल अपील पर बहस के दौरान अपीलांट्स के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम कुपडा, पटवार हल्का कुपडा तहसील व जिला बांसवाडा के खा[illegible] 148 के सर्वे नंबर 228 रकबा 3.16 बिघा, सर्वे नंबर 292 रकबा 4.03 बिघा सर्वे नंबर 1310/3[illegible] रकबा 2.03 बिघा कुल खेत 3 रकबा 10.02 बिघा पूर्व में अपीलांटस् के दादा व रेस्पोडेंट सं. 1 के ससुर रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के दादा पुनीया पिता नाथु भील के नाम जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज रेकार्ड था। पुनीया की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

पर उक्त कृषि भूमि अपीलांटस् के पिता व रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी के नाम सयुक्त रुप से जमाबन्दी संवत् 2039 से 2042 में दर्ज रेकार्ड हुई। प्रशासन गाँव के संग अभियान 2001 में बिना जाँच, रिर्पोट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी को लाभ पहुचाने की गरज से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभक्ति कर नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 द्वारा रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी को 5.19 बिघा एवं अपीलांट्स के पिता को 4.03 बिघा भूमि का अवैधानिक रुप से कर दिया था। उक्त कृषि भूमि कुल रकबा 10.02 बिघा में से अपीलांट्स के पिता को रकबा 5.01 बिघा बंटवारे में प्राप्त होनी थी जो नही दी जाकर 18 बिस्वा भूमि कम दी गई। रेस्पोडेंट सं. 1 के पति व रेस्पोडेंट सं. 2 से 4 के पिता स्व. श्री रावजी के खाते में बंटवारे से अधिक भूमि आ जाने से रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 जोरजबरदस्ती अपना हक व अधिकार जता रहे है जबकि मौके पर समान अनुपात में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 का कब्जा है। नामान्तरकरण से पूर्व मौके की वास्तविक जाँच नही की न ही रेकार्ड की जाँच की गई ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तरकरण काबील खारिज है। अपील अपीलांट स्वीकार कर तहसीलदार बांसवाडा का नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं 1 से 4 के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भेरा, रावजी पिता पुनीया भील जो कि सह खातेदार होने से प्रशासन गाँव के संग अभियान 2001 में प्रार्थना पत्र काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत आपसी सहमति से बंटवारे का प्रस्तुत करने से किया गया। उक्त बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था। जिस हेतु दानो खातेदारान् द्वारा आपसी सहमति से 30/– रुपयो के स्टाम्प पर बंटवारा फेहरिस्त अनुसार स्वीकार कर सहमति जाहिर की तत्पश्चात् खाते के विभाजन के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के लिये खोला गया जो विधि संगत है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने निवेदन किया गया।

राजकीय पैरोकार ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रशासन गाँव के संग अभियान 2021 में भेरा, रावजी पिता पुनीया भील जो कि सह खातेदार होने से प्रार्थना पत्र काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत आपसी सहमति से बंटवारे का प्रस्तुत करने से किया गया। खाते

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

के विभाजन के पश्चात् नामान्तरकरण सं. 987 दिनांक 08.10.2001 राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के लिये खोला गया जो विधि संगत है।

हमने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा प्रशासन गॉव के संग अभियान 2001 में प्रार्थना पत्र काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत आपसी सहमति से बंटवारे का प्रस्तुत करने पर आपसी सहमति से बंटवारा स्वीकृत होने के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 08-10-2001 दर्ज किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। अपीलांट के इस कथन पर कि मौके पर समान अनुपात में अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 1 से 4 का कब्जा है। इस आधार पर भी नामान्तरकरण निरस्त करने निवेदन किया है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट अथवा रेस्पोडेंट्स का कब्जा है, या नही ? इसका निर्धारण करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे नही है। इसके लिए अपीलांट सक्षम न्यायालय मे नियमित वाद दायर कर कब्जे का निर्धारण करा अनुतोष प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन तहसीलदार बांसवाडा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 987 दिनांक 08-10-2001 ग्राम कुपडा तहसील बॉसवाडा यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:51:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner